

12-4-2024

पंजाब में पेशवा वादीगण एवं वादी अधिवक्ता  
 अनुपस्थित। प्रमाण 2 नदि. उपस्थित।  
 वादीगण एवं वादी अधिवक्ता को बार-2  
 आवाज लगाई गई। उपस्थित नहीं हुए।  
 ललबाना पेश करने पूर्व में फर्जी कथन  
 दिये गये। ललबाना अतिथि के तब पेश  
 नहीं किया। अतः उपादीगण एवं वादी  
 अधिवक्ता अनुपस्थित रहने एवं ललबाना  
 पेश नहीं करने के यह जाहिर है  
 वरध है कि प्रकरण में वादीगण नहीं  
 चाहते थे। अतः अदालत द्वारा अदालत  
 फरजी में पंजाब की इसी तह पर खारीप  
 की जानी है पंजाब की ~~कानून~~ ~~कानून~~ ~~कानून~~  
~~द्वारा दायित्व दायित्व दायित्व~~ है।

